Nic

कार्यालय– जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास गोपेश्वर चमोली।

पत्रांक6-990/ जि0का0क0 / आं0बा0चयन / 2021–22 दिनांक 22 सितम्बर 2021

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि जनपद चमोली के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजनाओ में आंगनबाडी कार्यकर्ती , सहायिका एंव मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ती के रिक्त मानदेय पदो हेतु पात्र महिला अभ्यर्थियो से दिनांक 21 अक्टूबर 2021 की सायं 5.00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करना होगा, डाक अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। रिक्त मानदेय पदो का विवरण निम्नानुसार है–

क्र0 सं0	विकासखण्ड /परियोजना का नाम	आंगनबाडी केन्द्र / मिनी केन्द्र का नाम	आंगनबाडी कार्यकर्ती के पदो की संख्या	आंगनबाडी सहायिका के पदों की संख्या	मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ती के पदों की संख्या	आरक्षण श्रेणी
01	जोशीमठ	भैना (वार्ड सं0–5)	01	–	–	सामान्य
		जखोला	–	01	–	सामान्य
		ऐली किमाणा	–	–	01	सामान्य
02	दशोली	बछेर–2	01	–	–	अनुसूचित जाति
		कुडाव	01	–	–	सामान्य
		शकुन्तलाबगड(वार्ड सं0–02)	–	01	–	अनुसूचित जनजाति
03	घाट	माणखी	–	01	–	सामान्य
		गेरी	–	–	01	सामान्य
04	पोखरी	पाटी जखमाला	–	–	01	सामान्य
		सैलूड	–	–	01	सामान्य
05	नारायणबगड	छैकुडा	01	–	–	सामान्य
		छैकुडा	–	01	–	सामान्य
		मटियाला	–	01	–	सामान्य
		तोप	–	01	–	सामान्य
06	थराली	गुडम स्टेट	01	–	–	सामान्य
		कैंईपेंटी	01	–	–	सामान्य
		थराली (वार्ड सं0–04)	–	01	–	सामान्य
		बुरसोल	–	01	–	सामान्य
		सुनाऊमल्ला	–	01	–	सामान्य
		जाख	–	–	01	सामान्य
		बुडजोला	01	–	–	सामान्य
07	देवाल	हरनी	–	01	–	सामान्य
08	गैरसैंण	कोट	–	01	–	सामान्य
		योग	07	11	05	

नोट– विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी, साथ ही आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक युक्त प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें। रिक्त पदों से सम्बन्धित अर्हताएं एंव अन्य जानकारी वेबसाइड www.chamoli.nic.in पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति उक्त वेबसाइड से पदों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह सम्पूर्ण विज्ञप्ति अथवा मानदेय पद की विज्ञप्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है। इसके लिये किसी का कोई भी दावा मान्य नही होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा उपरोक्त वेबसाइड से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

(संदीप कुमार)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बाल विकास चमोली।

आवेदन के लिये अर्हतायें एवं शर्तें–महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड देहरादून के शासनादेश संख्या–335 दिनांक 24.02.2009, शासनादेश संख्या–999 दिनांक 31 मई 2010, शासनादेश संख्या–753 दिनांक 06.06.2017 एवं पत्र संख्या–1391 दिनांक 04.12.2019 एवं समय समय पर जारी संशोधन के अनुसार अर्हताएं एवं शर्तें निम्नानुसार है।–

अनिवार्य अर्हतायें:–

(1) शैक्षिक योग्यता – आंगनबाड़ी कार्यकत्री/ मिनी कार्यकत्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से हाईस्कूल अथवा समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तथा सहायिका के पद हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद/संस्था से कक्षा 8 उतीर्ण अथवा समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(2) आयु सीमा– आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका/ मिनी कार्यकत्री के पद हेतु अभ्यर्थिनी की आयु 01 जुलाई ,2020 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 44 वर्ष तक होनी चाहिये। आयु की गणना के सम्बन्ध में अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के प्रमाण–पत्र पर अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।

(3) निवास– (अ)आवेदक को उसी ग्राम/मजरे/तोक/वार्ड का स्थाई अथवा मूल निवासी होना चाहिए,जिस ग्राम/मजरे तोक/वार्ड के लिए आंगनबाडी केन्द्र व मिनी आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत है तथा जिसके लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है। परन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि सम्बन्धित ग्राम सभा के उसी ग्राम/मजरे/तोक/वार्ड में अभ्यर्थी उपलब्ध नही होते तो उस स्थिति में उसी ग्राम सभा के अन्य तोक/मजरे/ग्राम/वार्ड से नियुक्ति की जायेगी,ताकि रिक्तिया न रहें।

निवास के लिये सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थाई अथवा मूल निवास प्रमाण–पत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों हेतु सम्बन्धित ग्राम /मजरा /तोक के परिवार रजिस्टर की नकल जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो तथा शहरी क्षेत्र हेतु सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा जारी वार्ड में निवास का प्रमाण–पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ब) उपनियम–03 (अ) के अधीन यदि विधवा,परित्यकता एवं तलाकशुदा की श्रेणी में आने वाली अभ्यर्थी किसी ऐसे ग्राम /मजरे/तोक/वार्ड में निवास कर रही है जो उसके पिता/पति के निवास से भिन्न है तथा उनके लिये निवास का प्रमाण पत्र दिया जाना सम्भव नहीं है ऐसी स्थिति में विधवा, परित्यकता एवं तलाकशुदा की श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपजिलाधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 02 वर्ष से उस ग्राम /मजरा/तोक/वार्ड में निरन्तर निवास करने का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा ।

(4) आरक्षण– आरक्षित रिक्त पदों पर उसी श्रेणी के अभ्यर्थिनियों की ही नियुक्ति की जायेगी जिसके लिये केन्द्र आरक्षित है। इसके लिये अभ्यर्थिनियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) वरीयता श्रेणी :– (1) कार्यरत आंगनबाडी कार्यकत्री (2) कार्यरत मिनी आंगनबाडी कार्यकत्री (3) कार्यरत सहायिका (4) विधवा (5) परित्यक्ता (6) तलाकशुदा (7) सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में शामिल वंचित परिवार (स्वतः शामिल एवं अन्य वंचित परिवार)। आंगनबाड़ी कार्यकत्री/ सहायिका एवं मिनी कार्यकत्री के मानदेय पदों पर प्रदत वरीयता क्रम निम्नवत है–

1– कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्री:– कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्री की श्रेणी हेतु आवेदन करने की तिथि से कम से कम 02 वर्ष पूर्व से तथा वर्तमान तक कार्यरत कार्यकत्री के कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र जो संबन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2– कार्यरत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री:– कार्यरत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री की श्रेणी हेतु आवेदन करने की तिथि से कम से कम 01 वर्ष पूर्व से तथा वर्तमान तक कार्यरत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री के कार्य करने का

अनुभव प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

03-- कार्यरत सहायिका– कार्यरत सहायिका की श्रेणी हेतु आवेदन करने की तिथि से कम से कम 02 वर्ष पूर्व से तथा वर्तमान तक कार्यरत सहायिका के कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

04– विधवा श्रेणी हेतु– विधवा श्रेणी हेतु पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

05– परित्यगतता श्रेणी– परित्यगतता श्रेणी हेतु 10 रूपये के गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर आवेदन करने की तिथि से कम से कम 01 वर्ष पूर्व से परित्यगतता होने का शपथ पत्र जिसमें दो स्थानीय निवासियो के हस्ताक्षर नाम व पते के साथ ही, सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ वार्ड सदस्य से प्रमाणित हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

06– तलाकशुदा श्रेणी– तलाकशुदा श्रेणी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी तलाक के आदेश की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। मुस्लिम वर्ग की महिलाओ हेतु 10.00 रूपये के स्टॉम्प पत्र पर दो गवाहो के हस्ताक्षर करवा, शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

07– सामाजिक आर्थिक एंव जातिगत जनगणना 2011– सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(06)– मानदेय – आंगनबाडी कार्यकर्तियो, सहायिकाओ एंव मिनी कार्यकर्तियो को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो के अनुसार मानदेय देय होगा।

(07)– निषेध– एक आंगनबाडी केन्द्र के दोनो मानदेय पदों (आंगनबाडी कार्यकर्ती एवं सहायिका) पर एक ही परिवार के सदस्यो का चयन किसी भी दशा में नही किया जायेगा। इसके लिये परिवार रजिस्टर की प्रति को आधार माना जायेगा।

(8)– आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रो की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाये। तथा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाये । किसी प्रमाण पत्र/ अभिलेख के एवज में शपथ पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार नही होगा। अनिवार्य अर्हता से सम्बन्धित कमियो को दूर कर आवेदन जमा करने हेतु अन्तिम तिथि 23.10.2021 की सायं 5.00 बजे तक होगी।

आवेदन भरने के निर्देश

अभ्यर्थियो को सुविधा प्रदान करने के उददेश्य से आवेदन भरने के संक्षिप्त निर्देश जारी किये जा रहे है। विस्तृत जानकारी हेतु अपने बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा जिला कार्यक्रम कार्यालय गोपेश्वर चमोली, से सम्पर्क कर सकते है।

01– निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करें।

02– आवेदन हाथो हाथ जमा किये जायेगे डाक आदि में प्रेषित आवेदन मान्य नही होगे। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ संलग्नको की संख्या व संलग्नको का विवरण का अवश्य उल्लेख करेंगे तथा

सम्बन्धित कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त प्राप्ति रसीद में भी संलग्नको का स्पष्ट विवरण सहित प्राप्ति रसीद प्राप्त करें।

03– आधे अधूरे आवेदन स्वीकार नही होंगे। आवेदन जमा करते वक्त आवेदन की कमियां बतायी जायेगी। उनको पूरा करते हुए आवेदन जमा करें।

04– आवेदन जमा करते हुए अन्तिम तिथि तक इन्तजार नही करें, विज्ञप्ति जारी होते ही आवेदन करें।

05– चूंकि तोक के नाम से स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी नही होता है, अतः जो केन्द्र तोक में खोले गये है, उनमें अभ्यर्थी के निवास का आंकलन परिवार रजिस्टर के आधार पर भी किया जायेगा। अतः परिवार रजिस्टर के निर्धारित स्थान पर उस तोक के नाम का भी उल्लेख अवश्य करें, जिस तोक मे निवास कर रहे है। आवेदन पत्र के बिन्दु –9 में भी निवास की सूचना अवश्य अंकित करें। अभ्यर्थी उसी गांव /मजरे/ तोक के लिये जायेंगे जहां केन्द्र विज्ञापित है, यदि सम्बन्धित ग्राम सभा के उसी ग्राम/मजरे/तोक/वार्ड में अभ्यर्थी उपलब्ध नही होते तो उस स्थिति में उसी ग्राम सभा के अन्य तोक/मजरे /ग्राम /वार्ड से नियुक्ति की जायेगी, ताकि रिक्तिया न रहें।

06– सामाजिक आर्थिक एंव जातिगत जनगणना 2011 का प्रमाण पत्र परिवार के मुखिया का मान्य होगा, जिस परिवार का सदस्य अभ्यर्थी है। जिसका मिलान परिवार रजिस्टर से किया जायेगा।

07– आवेदन में गलत जानकारी देन तथा गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियो के विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जायेगी। अतः सही सूचना दे।

08– आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नही होने पर उसे निरस्त कर दिया जायेगा।

(आंगनबाडी कार्यकत्री ,सहायिका ,मिनी आंगनबाडी कार्यकत्री के चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप)

विज्ञप्ति संख्या –..................दिनांक.........

बाल विकास परियोजना ....जनपद चमोली

पासपोर्ट साईज का स्वप्रमाणित फोटो

1– आंगनबाडी / मिनी आंगनबाडी केन्द्र का नाम ....

2– मानदेय पद का नाम ....

3–आवेदिका का पूरा नाम कु0 / श्रीमती...

4–आवेदिका के पिता / पति का नाम...

5–जन्म तिथि दिनांक ....माह ....वर्ष..............

6–आयु(दिनांक 01.07.2020 को आयु)...........वर्ष...............माह..........दिन

7–जाति– अनुसूचित जाति /जनजाति /अन्य पिछडा वर्ग /सामान्य ....(यदि अनुसूचित जाति, जनजाति , अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र संलग्न करे।)

8–शैक्षिक अर्हता का विवरण (समस्त अंक सूची / प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें)

क0सं0	शैक्षिक योग्यता	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
01	आठवीं					
02	हाईस्कूल					
03	इण्टरमीडिएट					
04	स्नातक					
05	स्नातकोत्तर					

09– निवास स्थान ग्राम ....मजरा ....तोक ....वार्ड..............

(जिस केन्द्र के लिये आवेदन किया गया है उस ग्राम /मजरा /तोक / वार्ड में निवास का निवास प्रमाण पत्र तथा परिवार रजिस्टर की नकल प्रस्तुत करनी होगी।)

10–स्थाई पता ....

....पिन कोड...

11–पत्र व्यवहार का पता ....

....पिन कोड....................................

12– संलग्नको का विवरण(निम्नलिखित विवरणो में से आवश्यक अभिलेखो /प्रमाणपत्रो की प्रमाणित छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।)

1–

2–

3–

4–

5–

6–

7–

8–

9–

10–

<u>घोषणा</u>

मै कु0/श्रीमती.......................................पुत्री/पत्नी.....................................निवासी ग्राम......................... मजरा ..../तोक............................./वार्ड ....आंगनबाडी केन्द्र........................... बाल विकास परियोजना.....................................जनपद...............................एतद् द्वारा घोषणा करती हुॅ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त दी गयी सूचनाए तथ्य एवं प्रमाण पत्र सत्य है। मेरे कोई तथ्य एवं सूचनाए छुपाई नही गयी है। यदि मेरे द्वारा दिये गये कोई तथ्य /सूचनाए गलत पायी जाती है। तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाये तथा मै भविष्य मे अथवा मानदेय पद पर नियुक्ति पाने के पश्चात कोई तथ्य/सूचनाये/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते है। तो मेरी मानदेय पद पर नियुक्ति भी निरस्त कर दी जाये तथा इस सम्बन्ध में मेरा कोई भी दावा स्वीकार/मान्य नही होगा।

दिनांक...

स्थान..

अभ्यर्थिनी का नाम एवं हस्ताक्षर

नाम–

टिप्पणी– हस्ताक्षर न होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।